संख्या- 80/2015/680/71-1-2015-जी-57/2015

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 30 मार्च, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज में कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2015/568, दिनॉक 25-03-2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेजों में कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 45,00,000/- (रू0 पैतालिस लाख मात्र) के सापेक्ष मेडिकल कालेज, कन्नौज में ओ0पी0डी0 के साफ्टवेयर में आई0सी0डी0एक्स0 क्लासिफिकेशन कराए जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 17,86,537/- (रू0 सत्रह लाख छियासी हजार पॉच सौ सैतीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

1- उक्त अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
4- मानक की पूर्ति एवं कार्य की गुणवत्ता का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, सहारनपुर एवं कार्यदायी संस्था का होगा।
5- स्वीकृत किये जा रहे कार्य में क्रय आदि के संबंध में क्रय नियमों, प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है और न ही इस योजना हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिससे कि कार्य की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो।
7- स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखी जायेगी।
8- कम्प्यूटरीकरण हेतु स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का क्रय/उपयोग हेतु आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा यू0 पी0 डेस्को द्वारा कम्प्यूटरीकरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-05-चिकित्सा, शिक्षा,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-शिक्षा-07-मेडिकल कालेजों में नेटवर्किंग सुविधा/कम्प्यूटराइजेशन-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22 जुलाई, 2014 तथा बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प्र0-2015, दिनॉक् 27-03-2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव

संख्या:-80/2015/680(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कन्नौज।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।
6- समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ)/नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।